

## रुचि की अभिव्यक्ति

### पिपरिया स्टेशन पर पचमढी की तरफ उपलब्ध भवन के प्रथम तल को भुगतान के आधार पर यात्री सुविधा के विस्तार हेतु विकसित करना |

पिपरिया स्टेशन के द्वारा पचमढी , मडइ आदि पर्यटक स्थल आने जाने वाले पर्यटकों हेतु वर्तमान में पिपरिया स्टेशन के समीप अच्छे होटलों का अभाव है जिससे पर्यटकों की रुचि इन पर्यटक केन्द्रों में कम है , इस प्रस्तावित सुविधा के प्रारम्भ होने से इन पर्यटक स्थल आने जाने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाजनक कक्षाओं की व्यवस्था होगी जिससे निवेशक को राजस्व प्राप्त होगा तथा यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी | उपरोक्त के सन्दर्भ में रेल प्रशासन द्वारा वाणिज्य परिपत्र क्र. 2/17 अन्सोलिटेटेड प्रपोजल के अनुसार "नए एवं अभिनव विचार एवं परिकल्पना योजना" के तहत कार्य करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है

योन्यता ; प्रस्तावक को इसी प्रकृति के कार्य का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए |प्रस्तावक को प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र देने होंगे तथा पिछले तीन वर्ष की आडिटेड वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी |

अन्य विवरण ;

- 1.रेल प्रशासन द्वारा भवन के प्रथम तल पर उक्त कार्य हेतु 465 वर्ग मीटर (31 x 15 वर्ग मीटर) की जगह उपलब्ध करायी गयी है , प्रस्तावक इसकी वर्तमान दशा का अवलोकन कर तदनुसार अपना प्रस्ताव दे सकते हैं |
2. प्रस्ताव में निम्न लिखित सुविधाओं के विकास की रूप रेखा सम्मिलित होनी चाहिए ;
  - क. यात्रियों के रुकने हेतु फर्नीचर ( बेड, सोफा , टेबल आदि ) |
  - ख. यात्रियों के प्रसाधन हेतु प्रसाधन सुविधा |
  - ग . रुकने वाले यात्रियों हेतु चाय,काफी एवं पानी की वेंडिंग मशीन एवं रेल्वे द्वारा अनुमोदित खाद्य पदार्थ का विक्रय |
  - घ. कक्षाओं का सौंदर्यीकरण करना तथा यात्रियों हेतु अखबार,TV, पत्रिकाओं की व्यवस्था |
  - च. उपरोक्त कार्यों के निर्वहन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ |
3. इस कार्य हेतु प्रस्तावक द्वारा यात्रियों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण तथा इसके बदले में रेल विभाग को दी जाने वाली लाइसेंस फीस का विवरण |
4. इसके अतिरिक्त इस कार्य हेतु कोई अन्य सम्बन्धित विवरण |
5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक कोरुपए 25000/- वयाना राशि के रूप में जमा करना होगा , जोकि प्रस्ताव स्वीकार न करने की दशा में वापस कर दी जाएगी |
6. कार्य की अवधि 5 वर्ष |
7. प्रस्तावक को निम्न जानकारी भी देना आवश्यक है-

सुविधा का प्रकार	प्रभार प्रति		रिमार्क
	दिन	घंटे	
आराम करने हेतु			
ठहरने हेतु			
अन्य सुविधा			

8. प्रस्ताव पर विचार निम्न आधार पर किया जाएगा ;

क. प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्लान एवं उसके द्वारा किए जाने वाले निवेश  
ख. प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार सुविधाओं के बदले लिए जाने वाले प्रभार |  
ग. प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव की जाने वाली लाइसेंस फीस

उपर्युक्त आधार पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव के रूप में दिनांक 26/12/18 तक जमा कर सकते हैं , इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के वाणिज्य शाखा कार्यालयीन दिवस व समय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं |

देवेश सोनी  
(मंडल वाणिज्य प्रबन्धक)  
जबलपुर